



भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, भोपाल
BHOPAL MEMORIAL HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE, BHOPAL



स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Department Of Health Research, Ministry Of Health And Family Welfare, Government Of India
रायसेन बायपास रोड, भोपाल - 462038 (म.प्र.) Raisen Bypass Road, Bhopal - 462 038 (M.P.)
Phones:- +91 755 2742212-16, FAX:- +91 755 2748309, Email: bmhrcbhopal@gmail.com, Website : www.bmhrc.org

Amendment No.	04
Date of Amendment	04.08.2023

DEPARTMENT OF REGISTRATION

SOP

Standard Operating Procedures for Gas Victim Dependent Registration

1. Definition of dependent - All those children of gas victims who are born after the occurrence of Gas Tragedy.
2. The registration for dependent will be carried out in BMHRC as well as in mini units on as and when required basis.
3. The documentary requirements (for verification purpose) for registering dependent will be as follows:
 - a) **In Mini units of BMHRC-** Verification of documents by respective mini units In charges of In charges Registration .
 - Aadhaar card
 - Birth certificate from Nagar Nigam
 - Matriculation (10th) mark sheet of dependent.

मरीज जो कि गैस पीड़ितों के आश्रित हैं और उनका गैस पीड़ित आश्रित श्रेणी के अंतर्गत पंजीयन होना है जिसके लिए जन्मतिथी प्रमाण के दस्तावेजों के रूप में उपरोक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।

- i. 2 passport size photograph.
- ii. Original Antim Adesh Patra (final decision paper) of Gas victim.
- iii. Original Pro Rata paper of Gas Victim.
- iv. गैस पीड़ितों के अभिलेख अंतिम आदेश पत्र और प्रोरेटा भुगतान आदेश पत्र की मूल प्रति नहीं होने पर, निम्न प्रकार की प्रतिलिपियाँ जो कि कार्यालय कल्याण आयुक्त गैस राहत द्वारा जारी की गई हैं।
 - सत्य, सत्यापित, प्रमाणित प्रतिलिपि।
 - सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जारी की गई प्रतिलिपि।

Atanu
Relati

mev

- नकल (फोटो कापी) मूल अभिलेखों के अवार्ड के आधार पर तैयार करके सत्यापित कर जारी की गई प्रतिलिपि।

उपरोक्त प्रतिलिपियाँ भी मूल अभिलेख (अंतिम आदेश पत्र और प्रोरेटा भुगतान आदेश पत्र) के समकक्ष मान्य होंगी।

b) Refer from Mini units to BMHRC

- Refer letter/form along with attested photocopies of below mentioned documents from respective mini unit.
- Aadhaar Card / Birth certificate from Nagar Nigam or Matriculation (10th) mark sheet of dependent.

मरीज जो कि गैस पीड़ितों के आश्रित हैं और उनका गैस पीड़ित आश्रित श्रेणी के अंतर्गत पंजीयन होना है जिसके लिए जन्मतिथी प्रमाण के दस्तावेजों के रूप में उपरोक्त **b) ii.** दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।

1. 2 passport size photograph.
2. Original Antim Adesh Patra (final decision paper) of Gas victim.
3. Original Pro Rata paper of Gas Victim.

vii. गैस पीड़ितों के अभिलेख अंतिम आदेश पत्र और प्रोरेटा भुगतान आदेश पत्र की मूल प्रति नहीं होने पर, निम्न प्रकार की प्रतिलिपियाँ जो कि कार्यालय कल्याण आयुक्त गैस राहत द्वारा जारी की गई हैं।

- सत्य, सत्यापित, प्रमाणित प्रतिलिपि।
- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जारी की गई प्रतिलिपि।
- नकल (फोटो कापी) मूल अभिलेखों के अवार्ड के आधार पर तैयार करके सत्यापित कर जारी की गई प्रतिलिपि।

उपरोक्त प्रतिलिपियाँ भी मूल अभिलेख (अंतिम आदेश पत्र और प्रोरेटा भुगतान आदेश पत्र) के समकक्ष मान्य होंगी।

c) In case of Emergency (BMHRC)

- Verification of documents will be carried out by CMO on duty/In charge registration or on duty registration employee as per their availability.
- Aadhaar Card / Birth certificate from Nagar Nigam or Matriculation (10th) mark sheet of dependent.

James

Relativ

M. S. Reddy

